न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 06/2021

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2021/15

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
उमाराम पुत्र भीमा, कौम–कलबी निवासी–गोलासन, तहसील–सांचौर जिला–जालोर, राजस्थान	परखा पुत्र वीरा फौत के वारिसान् 1/1 तीकमा पुत्र परखा वगैरह

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>तारीख रजु :– 21.01.2021</u>

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 2 (2/1), (2/2), 2 (2/3) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 1 (1/1) लगायत 1 (1/8) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भीमाराम चौधरी, श्री हितेश कुमार, श्री प्रदीप कुमार उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 2 (2/4) व 3 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 27.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नंबर पुराना 70 रकबा 83 बीघा 6 बिस्व का सरहद मौजा गोलासन में आया हुआ है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 112 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113 रकबा 2.88 हैक्टेयर, खसरा नंबर 114 रकबा 6.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 115 रकबा 3.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 118 रकबा 0.52 हैक्टेयर नवीन पैमाईश अधिकारियों द्वारा नवसृजित किये गये है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की पैतृक संपति के खेत है जिस पर कब्जाकाश्त पीढ़ियों से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का चला आ रहा है। नकल जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 प्रथम मिसल बंदोबस्त की नकल व मिलान [illegible] की नकल प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न है। द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा पुराना खसरा नंबर से नवसृजित खसरा नंबर 112, 113, 114, 115 व 118 किये जिसमें से खसरा नंबर 112, 113, 114, 115 का इन्द्राज पूर्ववत यथावत रखा गया लेकिन खसरा नंबर 118 रकबा 0.52 हैक्टेयर का इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कर दिया गया जबकि उक्त खसरा नंबर 118 भी पुराने खसरा नंबर 70 से ही बना है जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी का व मालिकाना हकों का खेत है। इसके उपरान्त भी विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कर दिया जो इन्द्राज निरस्त योग्य होने से यह प्रार्थना–पत्र श्रीमान की सेवा में पेश है। नवीन खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:28:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

नंबर 118 का प्रार्थी या अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा या उनके पूर्वजों द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को कभी कोई वैध हस्तांतरण नहीं किया है न ही कब्जा ही सुपुर्द किया है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों के साथ मिलावट कर प्रार्थी के हकों का खेत विधिविरूद्व तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम करवा दिया जबकि द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर विधिविरूद्व तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इन्द्राज किया गया है जो इन्द्राज विधिविरूद्व होने से निरस्त योग्य होने से यह प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि सरहद मौजा गोलासन के खेत खसरा नंबर 118 रकबा 0.52 हैक्टेयर का बैचान, रहन या अन्य प्रकार से हस्तांतरण वगेरह नहीं करे तथा वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 (1/1) लगायत (1/8) ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आधारहीन, निराधार, मिथ्या व अप्रार्थीगण को तंग, परेशान करने के लिये पेश किया है जो विधि विरूद्व होने से खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर सांचौर
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक **27.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:28:52 IST
Reason: SelfAttested